रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-128/90

REGISTERED NO. D. (D.N.)-128|90

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 49] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 8, 1990/अग्रहायण 17, 1912

No. 49] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 8, 1990/AGRAHAYNA 17, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गये साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

विधि आयोग

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 1990

सा. का. नि. 724.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) विधि आयोग, पुस्तकाल्याध्यक्ष (श्रेणी 2) भर्ती नियम, 1987 का उन बातों सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या लोप किया गया है विधि आयोग, (विधि कार्य विभाग) विधि और न्याय मंत्रालय में पुस्तकालयाध्यक्ष (श्रेणी 2) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

6. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) विधि आयोग पुस्तकाध्यक्ष (श्रेणी 2) भर्ती नियम, 1990 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

7. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।

(13) G.S.R. No.——— ——— ——— (Notification No. 8/18/82-Cy dated 10-5-78.
(14) G.S.R. No. 7 dated 6-01-1979
(15) G.S.R. No. 825 dated 16-06-1979
(16) G.S.R. No. 1982 dated 25-08-1979
(17) G.S.R. No. 1513 dated 22-12-1979
(18) G.S.R. No. 517 dated 10-03-1980
(19) G.S.R. No. 1241 dated 6-12-1980
(20) G.S.R. No. 62 dated 17-01-1981
(21) G.S.R. No. 1085 dated 12-12-1981
(22) G.S.R. No. 1147 dated 26-12-1981
(23) G.S.R. No. 415 dated 4-06-1983
(24) G.S.R. No. 1247 dated 15-12-1984
(25) G.S.R. No. 271 dated 12-04-1986

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1990

सा.का.नि. 733:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन आकाशवाणी के सिविल निर्माण पक्ष में मुख्य इंजीनियर (सिविल) (स्तर 2) के पद 1 पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी मुख्य इंजीनियर (सिविल) (स्तर 2) भर्ती नियम, 1990 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे/उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट है।

4. वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिये जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
मुख्य इंजीनियर (सिविल) स्तर 2	1* (1990) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित अनुसचिवीय	5100-150-5700 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायेगा
11	12
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा।	प्रोन्नति :— ऐसे अधीक्षण इंजीनियर (सिविल) सपर्क अधीक्षण सर्वेक्षक (सिविल) जिसने उस श्रेणी में सात वर्ष नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार के अधिकारी, जिनके न हो सकने पर राज्य सरकारों के अधिकारी :— (क)(1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (2) जिन्होंने 4500—5700 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर दो वर्ष नियमित सेवा की है; या (3) जिन्होंने 3700—5020 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर सात वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य है। (पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के

	12
	लिये विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिये विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
13	14
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिये) 1. अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय—सदस्य 3. मुख्य इंजीनियर, आकाशवाणी—सदस्य।	नियुक्ति राज्य सरकार के किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिये चयन करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना होगा।

[सं. 310/44/86-बी(डी)]

पी.एम. राजू, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 16th November, 1990

G.S.R. 733.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Chief Engineer (Civil) (Level II) in the Civil Construction Wing of All India Radio under the Ministry of Information and Broadcasting, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the All India Radio (Chief Engineer (Civil (Level II) Recruitment Rules, 1990.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualification etc.—

The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the aforesaid Schedule.

4 Disqualification.—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Goverment may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.—Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Chief Engineer (Civil) Level II	1* (1990) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 5100-150-5700.	Selection	Not Applicable

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972	Educational & other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(7)	(10)	(11)
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	No Applicable	By promotion failing which by transfer on deputation.

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)	(14)
Promotion Superintending Engineer (Civil)/ Superintending Surveyor of Works (Civil) with 7 years regular service in the grade. Transfer on deputation : Officers of the Central Government failing which officers of the State Governments— (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 2 years' regular service in posts in the pay scale of Rs. 4500-5700 or equivalent; or (iii) with 7 years' regular service in posts in the pay scale of Rs. 3700-5000 or equivalent; and (b) possessing a degree in Engineering of a recognised University or equivalent. The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately proceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall not exceed 4 years.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) 1. Chairman/Member Union Public Service Commission—Chairman 2. Joint Secretary, Ministry of Information and Broadcasting —Member 3. Engineer-in-Chief, All India Radio ———Member	UPSC shall be consulted while selecting a State Government Officer for appointment on deputation.

[No. 310/44/86-B(D)]

P.M. RAJU, Under Secy.